पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

दूरभाष : 0771–2262802 (अकादमिक), 0771–2262540 (कुलसचिव), फैक्स–0771–2262818, 2262607

क्रमांक : 1636 / अका. / सम्बद्धता / 2021 रायपुर, दिनांक : 23 / 03 / 2021

।। आदेश ।।

विश्वविद्यालय विद्या–परिषद् की बैठक दिनांक 09.03.2021 की अनुशंसा एवं कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 16.03.2021 के अनुमोदनानुसार, **सेंट विसेंट पैलोटी महाविद्यालय, कांपा, रायपुर, जिला–रायपुर (छ.ग.)** को निम्नानुसार दर्शित कक्षा / विषय के लिये सत्र 2020–21 से अस्थायी सम्बद्धता सशर्त प्रदान की जाती है:–

क्र.	कक्षा / विषय	छात्र संख्या	सत्र
1	बी.पी.ई. तृतीय वर्ष	30 सीट	2020–21

शर्तें :–

01 महाविद्यालय को कार्यालय आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, ब्लॉक–सी, द्वितीय / तृतीय तल, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला–रायपुर ने अपने पत्र क्रमांक 2253 / 311 / आउशि / अ.शै.प्र. / 2020 दिनांक 22.02.2020 द्वारा उपरोक्त पाठ्यक्रम की अनुमति प्रदान की गई है। शासन के द्वारा उपरोक्त आदेश पर किसी भी प्रकार की आपत्ति होने पर, पाठ्यक्रम की संबद्धता पर नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी ।

02. प्रवेश हेतु छत्तीसगढ़ शासन प्रवेश मार्गदर्शिका के सिद्धांत एवं विश्वविद्यालय के अध्यादेशों का नियमानुसार पालन करेंगे एवं छत्तीसगढ़ के छात्रों को प्राथमिकता देंगे।

03. प्रावधानानुसार महाविद्यालय में प्रवेशित छात्रों से किसी भी प्रकार का डोनेशन न लिया जाये।

04. शिक्षकों / कर्मचारियों को नियमानुसार पूर्ण वेतन का भुगतान बैंक के माध्यम से की जावे।

05. इण्डोमेंट फण्ड की राशि कुलसचिव, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर एवं संस्था प्रमुख के संयुक्त नाम पर सावधि खाते में जमा कर, एफ.डी.आर. की मूलप्रति विश्वविद्यालय में जमा करेगें ।

06. समय–समय पर विश्वविद्यालय एवं छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी निर्देशों का पालन करेंगे।

07. निरीक्षण समिति द्वारा उल्लेखित बिंदूओं की पूर्ति करने के शर्त पर अस्थायी सम्बद्धता दिये जाने की अनुशंसा की गई है।

08. जाँच प्रतिवेदन के भाग 'ब' में दर्शित कमियों (प्रति संलग्न) की पूर्ति व परिनियम 28 के तहत् न्यूनतम / आवश्यक शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक स्टाफ की नियुक्ति आदेश निर्गमन की तिथि से तीन माह में नियुक्त / पूर्ण कर, विश्वविद्यालय को सूचित करें ।

09. शासन द्वारा जारी पत्र की सभी शर्तों के पालन 03 माह के अंदर पूर्ण कर, विश्वविद्यालय को सूचित करें।

10. परिनियम–27 एवं 28 का पालन करें ।

उक्त शर्तों की पूर्ति न करने की स्थिति में महाविद्यालय को दी जा रही उपर्युक्त विषयों की सम्बद्धता आगामी सत्र से वापस ले ली जाएगी ।

आदेशानुसार,

23.3.21

विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी (अका.)

पृ. क्रमांक 1637 अका. / सम्बद्धता / 2021 रायपुर, दिनांक 23 / 03 / 2021

प्रतिलिपि :–

01 आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, ब्लॉक–सी, द्वितीय / तृतीय तल, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला–रायपुर (छ.ग.)
02 संचालक, महाविद्यालय विकास परिषद, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)।
03 संबंधित महाविद्यालय के संचालक / प्राचार्य को।
04 संचालक, शारीरिक शिक्षा / विभागाध्यक्ष, कम्प्यूटर अध्ययन शाला,
05 स.कु.स. परीक्षा / परीक्षा सेमेस्टर / नामांकन / उ.कु.स. गोपनीय / वित्त नियंत्रक / विकास,
06 अध्यक्ष, कम्प्यूटर अध्ययनशाला को इस निवेदन के साथ की इसे विश्वविद्यालय के वेबसाईट में सूचनार्थ Up-Load करें,
07 कुलपति के सचिव / कुलसचिव के निजी सहायक,पं.रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को सूचनार्थ।

कक्ष अधिकारी (अका.)

भाग ''ब''

भाग 'अ' में दी गई जानकारी के सत्यापन के बाद निरीक्षण समिति द्वारा भरा जाए।
प्रस्तावित पाठ्यक्रम के संचालन के लिए निरीक्षण समिति का बिंदुवार प्रतिवेदन।
दन में अनुशंसा न की जाए अपितु पात्रता/अपात्रता का स्पष्ट उल्लेख किया जाए। कमियों का स्पष्ट उल्लेख किया जाए, सम्बद्धता के लिए शर्त के रूप में मान्य किया जा सके।]

सत्र 2020-21 में B.P.E III के लिये आवश्यक शिक्षक, पुस्तकें, एवं खेल मैदान उपलब्ध है खेल सामग्री की मात्रा छात्रों के अनुपात में उपलब्ध करायें।

ण समिति के संयोजन का नाम एवं हस्ताक्षरण : Dr. C. D. Agashe

ण दल के सदस्यों के हस्ताक्षर – नाम– पता : 1. Dr. C. D. Agashe

विशेषज्ञ/विशेषज्ञों के हस्ताक्षर एवं नाम–पता : 09/02/21
Dr. Rajeev Choudhary
Professor, SOS in Phy. Edu., Pt. R.S.U., Raipur.

क 9-2-2021

कुलसचिव,
पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय,
रायपुर (छ.ग.)

Dr. KULDEEP DUBEY
PRINCIPAL
ST. VINCENT PALLOTTI COLLEGE
KAPA, RAIPUR (C.G.)